संख्याः-803/एक-10-2024

प्रेषक,

शैलेन्द्र मणि त्रिपाठी,
अनु सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
उ0प्र0 राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण,
उ0प्र0, लखनऊ।

राजस्व अनुभाग-10 लखनऊः दिनांकः 30/04/2024

विषयः प्रदेश में लू-प्रकोप से बचाव एवं राहत के लिए रेडियो के माध्यम से प्रचार-प्रसार कराये जाने के हेतु धनावंटन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके सं0-63/रा0आ0प्र0प्रा0/कृषि/2024-25, दिनांक 26.04.2024 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिनके माध्यम से प्रदेश में लू प्रकोप से बचाव एवं राहत के लिए रेडियो के माध्यम से प्रचार-प्रसार हेतु बजट उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- उक्त के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश में लू-प्रकोप से बचाव एवं राहत के लिए व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु 02 माह (मई एवं जून) रेडियों चैनल के माध्यम से रेडियों जिंगल चलाये जाने की अनुमति एवं उक्त कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2024-25 में राज्य आपदा मोचक निधि की क्षमता संवर्द्धन मद से निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन रू0 1,71,14,162/- **(एक करोड़ इकहत्तर लाख चौदह हजार एक सौ बासठ मात्र)** की धनराशि अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 राज्य आपदा प्रवंधन प्राधिकरण के निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं:-

<u>नियम व शर्तें/प्रतिबंध</u>

(1) भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मॉडल कोड ऑफ कन्डक्ट के सम्बन्ध में निर्गत पत्र संख्या-437/6 INST/ECI/FUNCT/MCC/2024(MCC ENFORCEMENT) दिनांक 02 जनवरी, 2024 एवं अन्य निर्गत शासनादेशों द्वारा विस्तृत दिशा निर्देश निर्गत किया गया है। उक्त निर्गत मॉडल कोड ऑफ कन्डक्ट में रिलीफ मेजर के सम्बन्ध में जो भी विस्तृत दिशा निर्देश निर्गत किया गया है, उक्त दिशा निर्देशों के अनुरूप कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(2) जिस मद में शासन द्वारा धनराशि स्वीकृत की जा रही है उसी मद में इस धनराशि का उपयोग किया जायेगा। अन्य किसी भी मद/विभागीय कार्य हेतु धनराशि का व्यय कदापि न किया जाये।

(3) राज्य आपदा मोचक निधि की धनराशि का व्यय सक्षम अधिकारी द्वारा वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त नियमानुसार प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए निर्धारित अवधि के अन्दर किया जायेगा।

(4) राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशियों के उपभोग/समर्पण के संबंध में शासनादेश सं०-2/1-11-2013-10-11. दिनांक 04.03.2013 का अनुपालन किया जायेगा। शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि में से यदि कोई बचत/अवशेष की स्थिति बनती है तो उसे वित्तीय वर्ष के समापन/दिनांक 31 मार्च, 2024 से पूर्व शासन को नियमानुसार समर्पित कर दिया जाये।

(5) उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण-पत्र वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-369-एच के अधीन

निर्धारित प्रारूप सं0-42 आई में शासन को उपलब्ध कराया जाये।

(6) व्यय की गयी धनराशि महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाये और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाये।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय रूपये 1,71,14,162/- **(एक करोड़ इकहत्तर लाख चौदह हजार एक सौ बासठ मात्र)** को चालू वित्तीय वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 051 लेखा शीर्षक 2245-05-800-06-11 स्टेट डिजास्टर रिस्पांश फण्ड से सामान्य व्यय-42 अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024--231/2024, दिनांक 04 मार्च, 2024 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

Digitally Signed by
शैलेन्द्र मणि त्रिपाठी
Date: 30-04-2024 14:03:33
Reason: Approved

(शैलेन्द्र मणि त्रिपाठी)
अनु सचिव।

संख्या-803(1)/एक-10-2024, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार प्रथम/आडिट प्रथम, उ०प्र०, प्रयागराज
2 राहत आयुक्त, उ०प्र०, लखनऊ।
3- विशेष सचिव/नोडल अधिकारी बजट आवंटन (ई-बजट), राजस्व विभाग, उ०प्र० शासन।
4- वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त संगठन, उ०प्र०
5- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-5
7- वित्त (आय व्ययक) अनुभाग-1/2
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

शैलेन्द्र मणि त्रिपाठी
अनु सचिव।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2024-2025
आवंटन दिनांक-02/05/2024

प्रेषण संख्या:- 803
आवंटन आदेश संख्या:- 001-803
अनुदान संख्या:- 51 राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)(वित्तीय वर्ष 2024-2025 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2245 - प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत(आयोजनेत्तर-मतदेय)
05 - स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड
800 - अन्य व्यय
06 - स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड से व्यय
11 - स्टेट डिजास्टर रिस्पांश फण्ड से सामान्य व्यय

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		42-अन्य व्यय	योग
1	जवाहर भवन, लखनऊ-6019-up state disaster management authority , lucknow-01-a	वर्तमान प्रगामी	17114162 17114162	17114162 17114162
	योग	वर्तमान प्रगामी	17114162 17114162	17114162 17114162

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया एक करोड़ इकत्तर लाख चौदह हजार एक सौ बासठ
महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया एक करोड़ इकत्तर लाख चौदह हजार एक सौ बासठ

(रजनी कान्त वर्मा)
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी
राहत आयुक्त संगठन
उ०प्र० शासन